

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3389

जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025/17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

गैस मूल्य निर्धारण संबंधी विवाद का समाधान

3389. श्री जयन्त बसुमतारी:

डॉ. अमर सिंह:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) घरेलू यूरिया उत्पादकों द्वारा संशोधित गैस विपणन मार्जिन पर वर्ष-वार दर्ज किए गए कुल दावों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निपटाए गए कुल दावे कितने हैं;
- (ग) विगत गैस लागत विवादों को सुलझाने के लिए वित्तीय परिशोधन प्रदान करने वाले यूरिया निर्माताओं का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) लंबित विरासत दावों को सुलझाने और उर्वरक मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले भविष्य के विवादों को रोकने के लिए स्थापित तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) से (घ): वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक की अवधि के लिए संशोधित गैस विपणन मार्जिन पर घरेलू यूरिया उत्पादकों द्वारा दर्ज किए गए दावों की कुल राशि और विभाग द्वारा किए गए भुगतान का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

इसके अलावा, यूरिया इकाइयों द्वारा किए गए किसी भी दावे का निपटान प्रचलित यूरिया मूल्य निर्धारण नीतियों के अनुसार किया जाता है।

- * वर्ष 2015-16 में किया गया भुगतान
- ** वर्ष 2024-25 में किया गया भुगतान